बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 92848.00 लाख (रूपये नौ अरब अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में कुल रू0 138027.46 लाख (रूपये तेरह अरब अस्सी करोड़ सताईस लाख छियालिस हजार) का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तद्नुसार उक्त बजट उपबंध के आलोक में कुल राशि रू0 92848.00 लाख (रूपये नौ अरब अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख) मात्र की संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगेः–

(क) 197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वज़ीफा विपत्र कोड–P2225031970101 राज्य योजना स्कीम कोड, BCW–5460

(ख) 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0101 छात्रवृत्ति/वजीफा कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वज़ीफा विपत्र कोड–P2225031980101 राज्य योजना स्कीम कोड, BCW–5460

(ग) 277–शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड, स्कीम कोड, BCW–5461

3– इस स्वीकृत राशि से वर्ग–1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को 50% तक हीं छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगें।

5– विद्यालय छात्रवृत्ति मद में कुल स्वीकृत राशि की निकासी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा करने के उपरांत संपूर्ण जिले में विद्यालय के आवश्यकतानुसार राशि सीधे विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि को लघुशीर्ष के अनुसार ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के लिए उपावंटन नहीं करना है। अतः उक्त मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष के अधीन स्वीकृत संपूर्ण राशि की निकासी कर जिला के अन्तर्गत सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार राशि संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तांतरित कर छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

6– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

8– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2016 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2016 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

9– विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या–53 दिनांक–12.11.2012 एवं पत्रांक–58 दिनांक–12.01.13 के आलोक में किया जायेगा।

10– उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

11– प्रस्ताव में माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

12– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010–20 पटना, दिनांक–01-7-15

प्रतिलिपि– विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/7/2015
सरकार के सचिव।

Letter of Princ.Secy.(Harry)

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र0	जिला का नाम	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	कुल योग (3+4+5)
		198 ग्राम पंचायत	197 ब्लाक पंचायत	277–शिक्षा	
1	2	3	4	5	6
1	पटना	879.00	497.00	2309.95	**3685.95**
2	नालंदा	629.00	317.00	1345.10	**2291.10**
3	रोहतास	729.00	387.00	1401.53	**2517.53**
4	भभुआ	359.00	207.00	811.00	**1377.00**
5	भोजपुर	809.00	427.00	1076.00	**2312.00**
6	बक्सर	421.00	207.00	996.00	**1624.00**
7	गया	881.00	437.00	1736.00	**3054.00**
8	जहानाबाद	281.00	157.00	561.00	**999.00**
9	अरवल	231.00	87.00	428.73	**746.73**
10	नवादा	731.00	387.00	815.90	**1933.90**
11	औरंगाबाद	851.00	287.00	1148.54	**2286.54**
12	सारण	781.00	487.00	2655.54	**3923.54**
13	सिवान	756.00	357.00	1650.97	**2763.97**
14	गोपालगंज	331.00	177.00	1834.00	**2342.00**
15	मुजफ्फरपुर	931.00	517.00	2620.85	**4068.85**
16	सीतामढ़ी	831.00	327.00	2260.32	**3418.32**
17	शिवहर	131.00	87.00	367.49	**585.49**
18	प0 चम्पारण	731.00	357.00	2217.99	**3305.99**
19	पू0 चम्पारण	1131.00	657.00	3239.52	**5027.52**
20	वैशाली	861.00	457.00	1547.41	**2865.41**
21	दरभंगा	681.00	367.00	1931.20	**2979.20**
22	मधुबनी	1366.00	707.00	2430.75	**4503.75**
23	समस्तीपुर	831.00	517.00	2530.32	**3878.32**
24	सहरसा	481.00	307.00	1203.75	**1991.75**
25	सुपौल	610.46	337.00	1360.44	**2307.90**
26	मधेपुरा	631.00	357.00	1389.39	**2377.39**
27	पूर्णियाँ	1181.00	427.00	1741.25	**3349.25**
28	अररिया	881.00	407.00	1514.48	**2802.48**
29	किशनगंज	111.00	87.00	786.56	**984.56**
30	कटिहार	581.00	337.00	1638.90	**2556.90**
31	भागलपुर	481.00	307.00	2006.71	**2794.71**
32	बाँका	481.00	307.00	1248.33	**2036.33**
33	मुँगेर	281.00	157.00	791.24	**1229.24**
34	लखीसराय	431.00	187.00	387.90	**1005.90**
35	शेखपुरा	81.00	77.00	413.92	**571.92**
36	जमुई	331.00	157.00	1277.35	**1765.35**
37	खगड़िया	431.00	226.00	1197.00	**1854.00**
38	बेगुसराय	671.00	412.00	1647.21	**2730.21**
	कुल योग	**23827.46**	**12500.00**	**56520.54**	**92848.00**

(रूपये नौ अरब अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख) मात्र

पत्रांक–20 दिनांक–11-7-15 का अनुलग्नक

10/7/2015

सरकार के सचिव।

Sheet97

D:\harry\Allotment Dist. Wist(Harry)